

समाहरणालय, बक्सर  
(आपदा शाखा)

पत्रांक ..... / आ०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर

सेवा में,

अंचल अधिकारी,  
बक्सर, चौसा, ब्रह्मपुर।

बक्सर, दिनांक - / - / 2019

विषय : CFMS द्वारा पोर्टल पर Allotment ID- 750397, Demand No.-39-Disaster Management Department, Major Head-2245-Relief on Account of Natural Calamities, Sub Major Head-02-Flood, Cyclone etc, Minor Head-113-Assistance for Repairs/ Reonstruction of Houses, Sub Head-0001-NA, Head of Account-39-2245-02-113-0001-NA, Object Head- 35-01-Cash/Item में व्यय हेतु कुल 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) रूपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग : आपदा प्रबंधन विभाग का Order No. 8121 Dated 18-12-2019 File No. 1/praa-0-3-43/19

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय से संबंधित CFMS द्वारा पोर्टल पर Allotment ID- 750397, Demand No.-39-Disaster Management Department, Major Head-2245-Relief on Account of Natural Calamities, Sub Major Head-02-Flood, Cyclone etc, Minor Head-113-Assistance for Repairs/ Reonstruction of Houses, Sub Head-0001-NA, Head of Account-39-2245-02-113-0001-NA, Object Head- 35-01-Cash/Item में व्यय हेतु कुल 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त है यह आवंटन बाढ़ से हुई क्षति एवं उनके पुर्नस्थापन/पुननिर्माण तथा राहत बचाव कार्य होने वाले व्यय हेतु प्राप्त आवंटन 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) रूपये निम्न शर्तों के तहत आपको उपावंटित किया जाता है, जो निम्नत है :-

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
1	अंचल अधिकारी, बक्सर	0.00	96000.00	96000.00
2	अंचल अधिकारी, चौसा	0.00	191500.00	191500.00
3	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर	0.00	32500.00	32500.00
	कुल योग :-	0.00	320000.00	320000.00

उपरोक्त उपावंटित राशि 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) रूपये मात्र की निकासी निम्न शर्तों की तहत की जायेगी :-

1. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु दिया जा रहा है।
2. उपावंटित राशि का व्यय बाढ़ से हुई क्षति एवं उनके पुर्नस्थापन/पुननिर्माण तथा राहत बचाव कार्य हेतु निर्गत किया जा रहा है।
3. उपावंटित राशि का व्यय उरी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

4. आवंटित की गयी राशि की निकासी अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखागार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजते हुए शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक- 15.03.2020 तक आवश्य भेज दी जाय।
5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े की त्रुटि पूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक- 2561वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक निर्गत किया जा रहा है।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन दिनांक 15.03.2020 तक निश्चित रूप से कर दे अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखी जाय।


विश्वासभाजन,



जिला पदाधिकारी,  
बक्सर

ज्ञापांक.....18...../आ0 दिनांक.08.01-2020.....।

- प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर/आई0टी0, मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी,  
बक्सर